



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 10 जनवरी, 2018 / 20 पौष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जनवरी, 2018

संख्या: एल0सी0डी0-एच(2)- 5/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्याक 18) की धारा 29 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल0सी0डी0-एच(2)-211-राजपत्र/2017-10-01-2018 (9609)

5/2016 दिनांक 26-07-2016 द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I में जोड़ी गई प्रविष्टि “36. श्री रघुनाथ मन्दिर, सुल्तानपुर, जिला कुल्लू” का लोप करते हैं।

आदेश द्वारा,
(पूर्णिमा चौहान),
मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं
सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-H(2)-5/2016 dated 08-01-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th January, 2018

No. LCD-H(2)-5/2016.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of powers conferred under section 29 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984) is pleased to omit entry “36. Shri Raghunath Temple, Sultanpur, District Kullu” (added in Schedule-I appended to the Act ibid vide this department notification No. LCD-H(2)- 5/2016 dated 26-07-2016).

By order,
(PURNIMA CHAUHAN),
Chief Commissioner (Temple)-cum-
Secretary (LAC).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-51/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि /बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	21 / 2004	शाई प्रथम	शाई	364 / 1, 395, 397, 539 / 1, 692, 694, 701 किता 7	39-34-43	उत्तर: महाल मान्दला दक्षिण: महाल कोट, शाई पूर्व: महाल मान्दला व रैल पश्चिम: महाल शाई	ठियोग	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014, dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No. required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Forest	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	21/2004	Shai-I	Shai	364/1, 395, 397, 539/1, 692, 694, 701 Kitta 7	39-34-43	North:Muhal Mandla South: Muhal Kot, Shai East:Muhal Mandla, Rail West:Muhal Shai	Theog	Theog	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-52/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि /बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टियर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	22 / 2004	शिली मैहला	शिली मैहला	5, 18, 36, 84, 118, 119, 120, 121, 124, 128, 130, 242, 249, 250, 254, 277, 278, 290, 313, 339, 448, 474, 533, 540, 555, 608 किता 26	102-80-56	उत्तर: कैलबेउला, चडैल बाईला दक्षिण: कनासी, शेर डगौन पूर्व: महाल चटोग, नागपूर, शिली मैहला पश्चिम: दरभोग	ठियोग	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014, dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-51/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No. required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Forest	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	22/2004	Shili Maihla	Shili Maihla	5, 18, 36, 84, 118, 119, 120, 121, 124, 128, 130, 242, 249, 250, 254, 277, 278, 290, 313, 339, 448, 474, 533, 540, 555, 608 Kitta - 26	102-80-56	North: Keil Beula, Chadel Baila South: Kanasi, Ser Dagon East: Muhal Chatog, Nagpur, Shili Mehla West: Darbhog	Theog	Theog	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-53/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएँ	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	1 / 2004	खलौत द्वितीय	शलोहा पालवी	350, 383, 412, 420, 421, 422, 424, 425, 428, 469, 470, 471, 472, 473, 474 398, 402, 403 किता 18	21-51-92	उत्तर: महाल छैला दक्षिण: महाल घूण्ड पूर्व: महाल पालवी पश्चिम: महाल शलोहा	बलसन	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-53/2014, Dated __7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-53/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	1/2004	Khalout-II	Shaloha Palvi	350, 383, 412, 420, 421, 422, 424, 425, 428, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 398, 402, 403 Kitta 18	21-51-92	North: Muhal Chaila South: Muhal Ghund East: Muhal Palvi West: Muhal Shaloha	Balson	Theog	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-54/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	2/2004	खलौत प्रथम	पालवी	1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 54, 57 कित्ता 10	13-07-94	उत्तर: उप महाल उलवी व महाल खाहर दक्षिण: मजरुआ रक्बा महाल सालवी पूर्व: मजरुआ रक्बा महाल सालवी पश्चिम: महाल छैला	बलसन	टियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-54/2014, dated __7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-54/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	2/2004	Khalout-I	Palvi	13-07-94	1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 54, 57 Kitta 10	North: Up Muhal Ulvi & Muhal Khahar South: Cultivated land Muhal Salvi East Cultivated land Muhal Salvi West: Muhal Chaila	Balson	Theog	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 6 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-55/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	3/2004	खाहर	खाहर	1, 2/1, 60, 61, 68 किता 5	13-29-08	उत्तर: महाल उलवी दक्षिण: महाल पालवी पूर्व: महाल पालवी पश्चिम: महाल खाह	बलसन	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-55/2014, dated __6th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 6th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-55/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	3/2004	Khahar	Khahar	1, 2/1, 60, 61, 68 Kitta 5	13-29-08	North: Muhal Ulvi South: Muhal Palvi East: Muhal Palvi West: Muhal Khahar	Balson	Theog	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR.
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग
अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-56 / 2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की

जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	4 / 2004	बागड़ा	पालवी	625, 628, 630, 643, 647, 648, 649, 657, 658, 661, 667, 671, 672, 673, 677, 678, 680, 681	8-09-57	उत्तर: मजरुआ रक्बा महाल पालवी दक्षिण: डीपीएफ घूण्ड पूर्व: मजरुआ रक्बा महाल पालवी पश्चिम: महाल शलोहा	बलसन	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-56/2014, dated __7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-56/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	4/2004	Bagra	Palvi	625, 628, 630, 643, 647, 648, 649, 657, 658, 661, 667, 671, 672, 673, 677, 678, 680, 681 Kitta 18	8-09-57	North: Cultivated land Muhal Palvi South: DPF Ghund East: Cultivated land Muhal Palvi West: Muhal Shaloha	Balson	Theog	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-57/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हेक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	5/2004	बलाला	बनाहल	191, 308, 309, 311/1, 312, 313, 315, 329, 346, 377, 384!1, 407, 408/1, 433, 436, 456, 467, 468, 469, 472, 473 किता 21	37-88-72	उत्तर: महाल बनाहल व दसाणा दक्षिण: डी.पी.एफ. घूण्ड व महाल बनाहल पूर्व: डी.पी. एफ. बीरन पश्चिम: डी.पी.एफ. घूण्ड	बलसन	टियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014, dated __7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	5/2004	Balala	Banahal	191, 308, 309, 311/1, 312, 313, 315, 329, 346, 377, 384/1, 407, 408/1, 433, 436, 456, 467, 468, 469, 472, 473 Kitta 21	25-03-88	N: Muhal Bnahal, Dasana S: DPF Ghund, Muhal Bnahal E:DPF Biran W:DPF Ghund	Balson	Theog	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-58 / 2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि /बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	6/2004	पालो	पालवी	104, 195, 887 / 1, 890, 891, 892, 899, 989, 1005 / 1, 1006,1008, 1009,1010, 1238 / 1, 1239, 1280,1282, 1283, 1285,1290, 1292, 1294,1296, 1297, 1299, 1300,1301, 1303, 1304, 1306,1307,1308, 1310	25-03-88	उत्तर: महाल खाहर दक्षिण: डी.पी.एफ. घूण्ड व महाल पालवी पूर्व: महाल खाहर पश्चिम: मजरुआ रक्बा महाल पालवी	बलसन	टियोग	शिमला
				किता 33					

आदेश द्वारा
तरुण कपूर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014, dated __7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-58/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectt.	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	6/2004	Palo	Palvi	104, 195, 887/1, 890, 891, 892, 899, 989, 1005/1, 1006, 1008, 1009, 1010, 1238/1, 1239, 1280, 1282, 1283, 1285, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1300,	25-03-88	North: Muhal Khahar South: DPF Ghund, Muhal Palvi East:Muhal Khahar West:Cultivated land Muhal Palvi	Balson	Theog	Shimla

				1301, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1310 Kitta 33					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 171/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	1/2001	डोडवाली गाड	चांशल धार	3/1	222-88-30	उत्तर: महाल चांशलधार दक्षिण: महाल इस्त्रीगाड पूर्व: महाल चांशलधार पश्चिम: महाल चांशलधार चौहारा	डोडरा क्वार	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-171 /2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2017

No.FFE-B-F(14)-171/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

S. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	1/2001	Dodwalti Gad	Chanshal Dhar	3/1	222-88-30	North: Muhal Chanshal Dhar South: Muhal IstriGad East: Muhal Chanshal Dhar West: Muhal Chanshal Dhar Chohara	Dodra Kawar	Rohru	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 6 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 172/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	5/2002	टंगणखाई	इन्द्रसैन धार	1/1	167-90-06	उत्तर: महाल लम्बीधार दक्षिण: महाल इन्द्रसैन धार पूर्व: महाल लम्बी धार पश्चिम: महाल पेखा दिउदी	डोडरा क्वार	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 172 /2014 , Dated 6th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th December, 2017

No.FFE-B-F(14)-172/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

S. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	5/2002	Tangan Khai	Indersain Dhar	1/1	167-90-06	North:Muhal Lambi Dhar South: Muhal Indrasain Dhar East: Muhal Lambi Dhar West: Muhal Pekha Deudi	Dodra Kawar	Rohru	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)173/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी ।

अनुसूची

क्रम. संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैकटेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	6/2002	माझीवन	भराड़ासर धार	23/1	541-96-02	उत्तर: महाल भराड़ासर धार दक्षिण: सीमा तहसील परौला जिला उत्तरकाशी पूर्व: सीमा जिला किनौर पश्चिम: महाल भराड़ासर धार	डोडरा क्वार	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-173 /2014 , Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2017

No.FFE-B-F(14)-173 /2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

S. No.	File No.	Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	6/2002	MajhiVan	Bharadasar Dhar	23/1	541-96-02	North:Muhal Bharadasar Dhar South: Teh. Parola District Uttar Kashi East: Boundary Distt. Kinnaur West: Muhal Bharadasar Dhar	Dodra Kawar	Rohru	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR
Additional Chief Secretary (Forests).

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला—176 215, 9 जनवरी, 2018

सं०: वि०स०-विधायन-शपथ/1-2/2018.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निम्न सदस्यों ने सभा में अपने स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचना संख्या: जी०ए०डी०(पी०ए०)४ (डी)-7/90, दिनांक 6 जनवरी, 2018 द्वारा नियुक्त सामयिक अध्यक्ष, श्री रमेश चंद धवाला के समक्ष 9 जनवरी, 2018 को शपथ ग्रहण की :-

1. श्री जय राम ठाकुर	(29—सिराज़)
2. श्री महेन्द्र सिंह	(32—धर्मपुर)
3. श्री किशन कपूर	(18—धर्मशाला)
4. श्री सुरेश भारद्वाज	(63—शिमला)
5. श्री अनिल शर्मा	(33—मण्डी)
6. श्रीमती सरवीन चौधरी	(17—शाहपुर)
7. डॉ० राम लाल मारकण्डा	(21—लाहौल और स्पिति) अ०जा०
8. श्री विपन सिंह परमार	(14—सुलह)
9. श्री विरेन्द्र कंवर	(45—कुटलैहड़)
10. श्री बिक्रम सिंह	(11—जसवां प्रागपुर)
11. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर	(22—मनाली)
12. डॉ० राजीव सैजल	(54—कसौली) अ०जा०
13. श्री मुकेश अग्निहोत्री	(43—हरोली)
14. श्री वीरभद्र सिंह	(50—अर्की)
15. श्री हंस राज	(1—चुराह) अ०जा०
16. श्री जिया लाल	(2—भरमौर) अ०जा०
17. श्री पवन नैय्यर	(3—चम्बा)
18. श्रीमती आशा कुमारी	(4—डलहौजी)
19. श्री बिक्रम सिंह जरयाल	(5—भटियात)
20. श्री राकेश पठानिया	(6—नूरपुर)
21. श्रीमती रीता देवी	(7—इन्दौरा) अ०जा०
22. श्री सुजान सिंह पठानिया	(8—फतेहपुर)
23. श्री अर्जुन सिंह	(9—ज्वाली)
24. श्री होशयार सिंह	(10—देहरा)
25. श्री रविन्द्र कुमार	(13—जयसिंहपुर) अ०जा०
26. श्री अरुण कुमार	(15—नगरौटा)
27. श्री पवन कुमार काजल	(16—कांगड़ा)
28. श्री आशीष बुटेल	(19—पालमपुर)
29. श्री मूलख राज	(20—बैजनाथ) अ०जा०
30. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर	(23—कुल्लू)
31. श्री सुरेन्द्र शौरी	(24—बन्जार)
32. श्री किशोरी लाल	(25—आनी) अ०जा०
33. श्री हीरा लाल	(26—करसोग) अ०जा०
34. श्री राकेश कुमार	(27—सुन्दरनगर)
35. श्री विनोद कुमार	(28—नाचन) अ०जा०
36. श्री जवाहर ठाकुर	(30—दरंग)
37. श्री प्रकाश राणा	(31—जोगिन्द्रनगर)
38. श्री इन्द्र सिंह	(34—बल्ह) अ०जा०

39. श्री इन्द्र सिंह	(35—सरकाघाट)
40. श्रीमती कललेश कुमारी	(36—भोरंज) अ0जा0
41. श्री राजेन्द्र राणा	(37—सुजानपुर)
42. श्री नरेन्द्र ठाकुर	(38—हमीरपुर)
43. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	(39—बड़सर)
44. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू	(40—नदौन)
45. श्री बलवीर सिंह	(41—चिन्तपुरनी) अ0जा0
46. श्री राजेश ठाकुर	(42—गगरेट)
47. श्री सतपाल सिंह रायज़ादा	(44—ऊना)
48. श्री जीत राम कटवाल	(46—झण्डुता) अ0जा0
49. श्री राजिन्द्र गर्ग	(47—घुमारवीं)
50. श्री सुभाष ठाकुर	(48—बिलासपुर)
51. श्री राम लाल ठाकुर	(49—श्री नैना देवी जी)
52. श्री लखविन्द्र सिंह राणा	(51—नालागढ़)
53. श्री परमजीत सिंह	(52—दून)
54. डॉ० (कर्नल) धनी राम शांडिल	(53—सोलन) अ0जा0
55. श्री सुरेश कुमार कश्यप	(55—पच्छाद) अ0जा0
56. डॉ० राजीव बिन्दल	(56—नाहन)
57. श्री विनय कुमार	(57—श्री रेणुकाजी) अ0जा0
58. श्री सुख राम	(58—पांवटा साहिब)
59. श्री हर्षवर्धन चौहान	(59—शिलाई)
60. श्री बलबीर सिंह वर्मा	(60—चौपाल)
61. श्री राकेश सिंघा	(61—ठियोग)
62. श्री अनिरुद्ध सिंह	(62—कसुम्पटी)
63. श्री विक्रमादित्य सिंह	(64—शिमला ग्रामीण)
64. श्री नरेन्द्र बरागटा	(65—जुब्बल—कोटखाई)
65. श्री नन्द लाल	(66—रामपुर) अ0जा0
66. श्री मोहन लाल ब्राक्टा	(67—रोहडू) अ0जा0
67. श्री जगत सिंह नेगी	(68—किन्नौर) अ0जा0जा0

आदेश द्वारा,
(सुन्दर सिंह वर्मा),
सचिव, हि०प्र० विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Dharamshala, the 9th January, 2018

No. VS-Legn.-Oath/1-2-2018.—In pursuance of Article 188 of the Constitution of India the following elected Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, before taking their seats, made and subscribed before Shri Ramesh Chand Dhwala, Speaker Pro-tem appointed in this behalf by the Governor *vide* Notification No.GAD (PA)-4(D)-7/90 , dated 6th January, 2018 an oath/affirmation on the 9th January, 2018 :—

1. Sh. Jai Ram Thakur	29-Seraj
2. Sh. Mahender Singh	32-Dharampur
3. Sh. Kishan Kapoor	18-Dharamshala

4.	Sh. Suresh Bhardwaj	63-Shimla
5.	Sh. Anil Sharma	33-Mandi
6.	Smt. Sarveen Choudhary	17-Shahpur
7.	Dr. Ram Lal Markanda	21-Lahaul & Spiti (S.T.)
8.	Sh. Vipin Singh Parmar	14-Sullah
9.	Sh. Virender Kanwar	45-Kutlehar
10.	Sh. Bikram Singh	11-Jaswan-Paragpur
11.	Sh. Gobind Singh Thakur	22-Manali
12.	Dr. Rajeev Saizal	54-Kasauli (S.C.)
13.	Sh. Hans Raj	1-Churah (S.C.)
14.	Sh. Jia Lal	2-Bharmour (S.T.)
15.	Sh. Pawan Nayyar	3-Chamba
16.	Smt. Asha Kumari	4-Dalhousie
17.	Sh. Bikram Singh Jaryal	5-Bhattiyat
18.	Sh. Rakesh Pathania	6-Nurpur
19.	Smt. Reeta Devi	7-Indora (S.C.)
20.	Sh. Sujan Singh Pathania	8-Fatehpur
21.	Sh. Arjun Singh	9-Jawali
22.	Sh. Hoshyar Singh	10-Dehra
23.	Sh. Ravinder Kumar	13-Jaisinghpur (S.C.)
24.	Sh. Arun Kumar	15-Nagrota
25.	Sh. Pawan Kumar Kajal	16-Kangra
26.	Sh. Ashish Butail	19-Palampur
27.	Sh. Mulkh Raj	20-Baijnath (S.C.)
28.	Sh. Sunder Singh Thakur	23-Kullu
29.	Sh. Surender Shourie	24-Banjar
30.	Sh. Kishori Lal	25-Anni (S.C.)
31.	Sh. Hira Lal	26-Karsog (S.C.)
32.	Sh. Rakesh Kumar	27-Sundernagar
33.	Sh. Vinod Kumar	28-Nachan (S.C.)
34.	Sh. Jawahar Thakur	30-Darang
35.	Sh. Prakash Rana	31-Jogindernagar
36.	Sh. Inder Singh	34-Balh (S.C.)
37.	Sh. Inder Singh	35-Sarkaghat
38.	Smt. Kamlesh Kumari	36-Bhoranj (S.C.)
39.	Sh. Rajinder Rana	37-Sujanpur
40.	Sh. Narinder Thakur	38-Hamirpur
41.	Sh. Inder Dutt Lakhanpal	39-Barsar
42.	Sh. Sukhvinder Singh Sukhu	40-Nadaun
43.	Sh. Balbir Singh	41-Chintpurni (S.C.)
44.	Sh. Rajesh Thakur	42-Gagret
45.	Sh. Mukesh Agnihotri	43-Haroli
46.	Sh. Satpal Singh Raizada	44-Una
47.	Sh. Jeet Ram Katwal	46-Jhanduta (S.C.)
48.	Sh. Rajinder Garg	47-Ghumarwin
49.	Sh. Subhash Thakur	48-Bilaspur
50.	Sh. Ram Lal Thakur	49-Sri Naina Deviji
51.	Sh. Virbhadra Singh	50-Arki
52.	Sh. Lakhvinder Singh Rana	51-Nalagarh
53.	Sh. Paramjeet Singh	52-Doon
54.	Dr.(Col.) Dhani Ram Shandil	53-Solan(S.C.)
55.	Sh. Suresh Kumar Kashyap	55-Pachhad (S.C.)

56. Dr. Rajiv Bindal	56-Nahan
57. Sh. Vinay Kumar	57-Sri Renukaji (S.C.)
58. Sh. Sukh Ram	58-Paonta Sahib
59. Sh. Harshwardhan Chauhan	59-Shillai
60. Sh. Balbeer Singh Verma	60-Chopal
61. Sh. Rakesh Singha	61-Theog
62. Sh. Anirudh Singh	62-Kasumpti
63. Sh. Vikramaditya Singh	64-Shimla Rural
64. Sh. Narinder Bragta	65-Jubbal-Kotkhai
65. Sh. Nand Lal	66-Rampur (S.C.)
66. Sh. Mohan Lal Brakta	67-Rohru (S.C.)
67. Sh. Jagat Singh Negi	68-Kinnaur (S.T.)

By order,
(SUNDER SINGH VERMA),
Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

**In the Court of Shri Bal Krishan, HPAS, Sub-Divisional Magistrate (Civil) Bharmaur,
District Chamba (H. P.)**

Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Dharam Chand, resident of Village Patti, P.O. Bharmaur, Tehsil Bharmaur, District Chamba, H. P. . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Vijay Kumar s/o Sh. Dharam Chand, resident of Village Patti, P.O. Bharmaur, Tehsil Bharmaur, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit registration of delayed date of birth of his son *i.e.* 26-07-2014 for entry in the record of Gram Panchayat Chobhia, Development Block Bharmaur Tehsil Bharmaur, District Chamba, H.P. thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if, they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Dikshit Sharma *i.e.* 26-07-2014 for entry in the concerned Gram Panchayat, Chobhia they may file their claim/objections on or before _____ in this court failing which necessary orders will be passed to the Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today under my signature and seal of the Court.

Seal.

BAL KRISHAN (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate (Civil),
Bharmaur, District Chamba (H.P.).

In the Court of Shri Raghav Sharma (I.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :—

1. Shri Manoj Kumar s/o Shri Purshottam, r/o Tandi, P.O. Saroa, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Reena Devi Thakur d/o Shri leela Nand, r/o Sarandha, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Manoj Kumar and Smt. Reena Devi Thakur have filed an application on 19-12-2017 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-11-2017 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-01-2018, The objection received after 19-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAGHAV SHARMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि० प्र०)

श्रीमती पवना देवी पत्नी स्व० श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव सियुण, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

श्रीमती पवना देवी पत्नी स्व० श्री सन्तोष कुमार, निवासी गांव सियुण, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम सन्तोष कुमार है। परन्तु प्रार्थिन के पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल सियुण में सन्तोष सिंह ही दर्ज है। जो गलत है अब नाम दुरुस्ती करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 18-01-2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 15-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 16/22-12-2017

श्री किसन चन्द पुत्र पौशु, निवासी महाल भलाती, डा0 रुमहणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

श्री किसन चन्द पुत्र पौशु, निवासी महाल भलाती, डा0 रुमहणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में किसन चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल घटेहड में गलती से किसन दर्ज हुआ है और उनके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में पौशु दर्ज हुआ है। परन्तु पंचायत रिकार्ड में गलती से दिला राम दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम किसन चन्द रखना चाहता है व अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड के आधार पर पंचायत रिकार्ड में पौशु दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-01-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 22-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Santosh Verma w/o Lt. Shri Mool Chand, r/o Village & P.O. Shoghi, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Santosh Verma w/o Lt. Shri Mool Chand, r/o Village & P.O. Shoghi, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her Daughter named—Ms. Anjana Verma d/o Smt. Santosh Verma w/o Lt. Shri Mool Chand, r/o Village & P.O. Shoghi, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Anandpur, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Ms. Anjana Verma	Daughter	24-03-1984

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Anandpur Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 06-01-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.*

**ब अदालत श्री उत्तम चन्द शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश**

वाद संख्या :
17/13B of 2017

तारीख दायरा
15-12-2017

तारीख पेशी
23-01-2018

श्री सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी मौजा कोठी देवरा, डा0 घट्टी, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—कागजात माल में नाम दुरुस्ती करवाने बारे ।

श्री सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी मौजा कोठी देवरा, डा0 घट्टी, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र इस आशय से पेश किया है कि राजस्व अभिलेख महाल कोठी देवरा, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन के खाता खतौनी नं0 46/49 खसरा नं0 238 में उसका नाम गलती से सतपाल दर्ज किया गया है जबकि उसका नाम सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल है। उक्त नाम की राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती हेतु प्रार्थी ने

निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथन के सन्दर्भ में परिवार रस्टर की प्रति, शपथ पत्र, आधार कार्ड राशन कार्ड की प्रति, पेश की हैं जिसमें प्रार्थी का नाम सत्य पाल दर्शाया गया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे असागतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा श्री सत्य पाल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी मौजा कोठी देवरा, डा0 घट्टी, पटवार सर्कल बेरटी, तहसील व जिला सोलन द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अपेक्षित दुरुस्ती को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

उत्तम चन्द शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Ashutosh Garg, I.A.S., Sub Divisional Magistrate Nalagarh,
District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer
under Special Marriage Act, 1954**

Case No. :/ 2017

Date of Inst. : 15-12-2017

Pending for : 22-01-2018

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Chhotu Ram s/o Shri Rehmu, r/o Village Rajpur Jakholi, P.O. Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. and Smt. Raj Rani d/o Sh. Sher Khan and w/o Shri Chhotu Ram s/o Shri Rehmu, r/o Village Rajpur Jakholi, P.O. Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, (H. P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 18-06-2000.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the present time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 20-01-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 20-01-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 20-12-2017.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.

**In the Court of Shri Ashutosh Garg, I.A.S., Sub Divisional Magistrate Nalagarh,
District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer
under Special Marriage Act, 1954**

Case No. : / 2017

Date of Inst. : 16-12-2017

Pending for : 20-01-2018

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Ajay Kumar s/o Shri Madan Lal, r/o Village Ghansot, P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan, H. P. and Smt. Pooja Devi d/o Sh. Dharam Pal Sharma and w/o Ajay Kumar s/o Shri Madan Lal, r/o Village Ghansot, P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan, H. P. has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 30-01-2012.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the present time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 20-01-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 20-01-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 19-12-2017.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum- SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.*

**In the Court of Shri Hira Lal Thakur, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat,
District Solan, H.P.**

मिसल नं० : 04 / 13-B of 2017

मुकद्दमा बनाम : श्रीमती सोनू देवी पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव कोलका ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती ।

इशतहार बनाम आम जनता ।

प्रार्थिया श्रीमती सोनू देवी पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव कोलकाए उप-तहसील दाड़लाघाट ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड, पटवार वृत्त दानोघाट में श्रीमती शीला देवी

पुत्री सुदामा राम, निवासी गांव कोलका चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थिया का नाम श्रीमती सोनू देवी पुत्री सुदामा है। प्रार्थिया ने शपथ प्रमाण-पत्र की, आधार कार्ड की, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। इस नाम की दुरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 18-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम

श्रीमती सुरजीत कौर

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी विशन दास, निवासी गांव लालसिंगी, डा0 रायेंसरी, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र सन्दीप कुमार का जन्म गांव लालसिंगी में दिनांक 31-08-1997 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-01-2018 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-12-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम

श्री होशियार सिंह

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री होशियार सिंह पुत्र बाबू राम, निवासी मोहल्ला गुरसर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र अनील कन्वर का जन्म गांव मोहल्ला गुरसर में दिनांक 30-10-1974 को

हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-01-2018 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-12-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम

श्री राम सिंह

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अरनियाला लोअर, डा0 कोटला कलां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र अमनदीप का जन्म गांव अरनियाला लोअर में दिनांक 25-09-1979 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-01-2018 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

